देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

JAWAB DO SARKAR
www.jawabdosarkar.com

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी
सूचना प्रोद्द्योगिकी(मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता)नियम,2021 के नियम 18 के तहत संचालित पोर्टल

रेफरेंस संख्या –2022/palm/07 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | मंगलवार, 24 मई 2022

शराब बेचने के लालच मे शराब ठेकेदार सहित जिम्मेदार अधिकारी कर रहे आबकारी नियमों का उल्लंघन!!!

आबकारी नियम 75 की धज्जियां उड़ाकर चल रही "गब्बर वाईन्स"

आबकारी विभाग के जयपुर ईस्ट के वार्ड संख्या 12,21,22,26,76 मे स्थित दुकान संख्या 7,8,9 योजना-A,गोविंदपुरी,रामगढ़ रोड,आमेर रोड पर स्थित लाईसेन्सी तुषार चौधरी का है मामला

जैन समुदाय की प्रसिद्ध नसिया "श्री दिगंबर जैन नसिया", एतिहासिक महत्व रखने वाली "महारानियों की छतरियाँ" और देवस्थान विभाग से पंजीकृत रघुनाथ मंदिर से 200 मीटर के दायरे मे चल रही यह शराब की दुकान

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी
सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

श्री रघुनाथ जी राधा निवास मंदिर

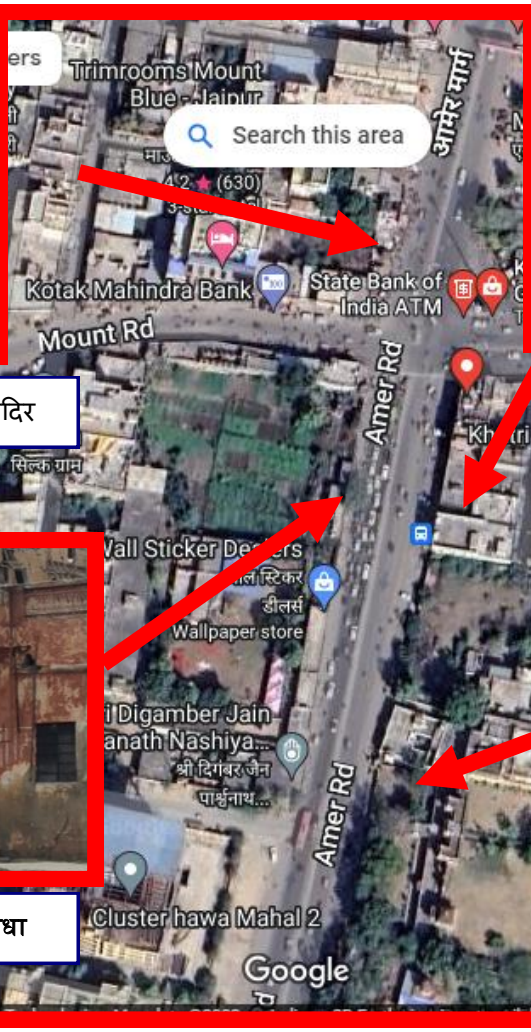

शराब की दुकान

श्री दिगंबर जैन नसिया,श्योजी गोधा

महारानियों की नसिया

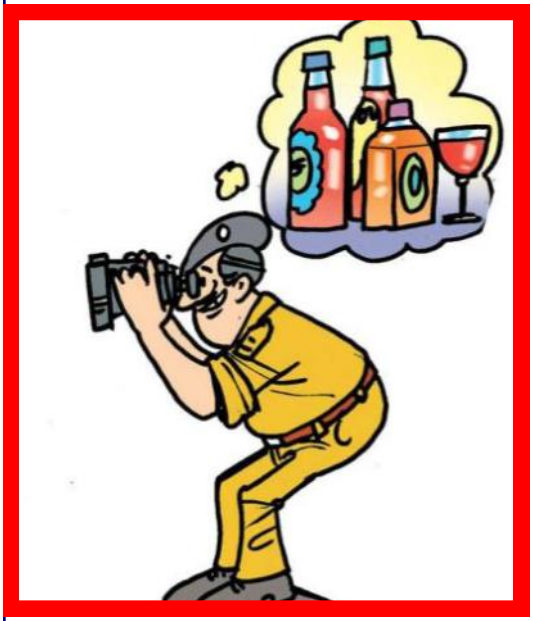

आबकारी अधिकारी खुद ही उड़ा रहे राजस्थान आबकारी नियम 75 का मखौल

राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75 मे स्पष्ट किया गया है कि किसी भी स्कूल,कॉलेज,अस्पताल,धार्मिक स्थल,सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान,हरिजन बस्ती,लेबर कॉलोनी के 200 मीटर के दायरे मे कोई भी शराब की दुकान नहीं लगाई जाएगी|साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि स्कूल,कॉलेज से भिन्न शिक्षण संस्थान होने की स्थिति मे उनके बंद होने के कम से कम एक घंटे बाद ही उस शराब की दुकान को खोलने की अनुमति दी जा सकेगी|

ऊपर की तस्वीर मे स्पष्ट है कि आबकारी विभाग के जयपुर ईस्ट के वार्ड संख्या 12,21,22,26,76 मे स्थित दुकान संख्या 7,8,9 योजना-A,गोविंदपुरी,रामगढ़ रोड,आमेर रोड पर स्थित लाईसेन्सी तुषार चौधरी की शराब की कम्पोजीट दुकान से महज 200 मीटर की दूरी के अंदर जैन समुदाय की प्रसिद्ध नसिया **"श्री दिगंबर जैन नसिया,श्योजी गोधा"**,विश्व प्रसिद्ध और एतिहासिक महत्व रखने वाली **"महारानियों की छतरियाँ"** और देवस्थान विभाग मे पंजीकृत **"श्री रघुनाथजी राधा निवास मंदिर"** स्थित है|

राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75 – दुकानों की अवस्थिति

75(1) देशी मदिरा, विदेशी मदिरा या भारत निर्मित विदेशी मदिरा या हैम्प औषधियों के खुदरा विक्रय का लाईसेन्सधारी अपनी दुकान केवल संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अनुमोदित स्थान पर ही रखेगा।

---

(2) देशी मदिरा, विदेशी या भारत निर्मित विदेशी मदिरा के खुदरा विक्रय की दुकान महाविद्यालयों, सीनियर माध्यमिक विद्यालय सभी स्तर के कन्या शिक्षण संस्थानों, अस्पताल, पूजास्थल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान, कारखाना या श्रमिक अथवा हरिजन कॉलोनी से 200 मीटर की दूरी के अन्दर अवस्थित नहीं होगी ।

(3) खुदरा विक्रय के लिये दुकान जिला आबकारी अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना एक स्थान से दुसरे स्थान पर बदली नहीं जायेगी ।

(4) जिला आबकारी अधिकारी पर्याप्त कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् किसी दुकान को एक स्थान से दुसरे स्थान पर बदल सकेगा और दुकान बदलने के लिये लाईसेंसधारी को कोई क्षतिपूर्ति देय नही होगी ।

परन्तु यह कि आबकारी आयुक्त द्वारा पर्याप्त कारणें को लेखबद्ध करने के पश्चात् अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में उपरोक्त शर्तो में छूट प्रदान की जा सकेगी।

(नोटः राज्य सरकार के पत्र कमांक प.4(1)वित्त/आब/ 2008 दिनांक 21.01.2009 से राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 75 (2) के अन्तर्गत शिथिलता प्राप्त कर राज्यभर में शिथिलता के अन्तर्गत संचालित दुकानों के आदेश को प्रत्याहरित (Withdraw) करने के निर्देश प्रदान किये थे इसकी पालना में इस कार्यालय के आदेश कमांक प.32(बी)(42) आब/एल/2006/2612 दिनांक 21.01.2009 से राज्य में नियम 75 के अन्तर्गत प्रदत्त शिथिलता को प्रत्याहरित (Withdraw) किया गया।)

स्पटीकरण –

(1) नियम 75 के उपनियम (2) के उद्धेश्य के लिये पूजा के स्थान से दुकान की दूरी के संबंध में प्रतिबन्ध एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में केवल उन्हीं स्थानों के लिये लागू होगे जो जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में रखी जाने वाली सूची में वर्णित होगें।

(2) हरिजन कॉलोनी से तात्पर्य नगर पालिका के ऐसे वार्ड से है जिसवमें अन्तिम जनगण्ना के अनुसार वार्ड की समस्त जनसंख्या के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्ति अनुसूचित जाति के हों ।

(3) महाविद्यालय या सीनियर सैकेन्डरी स्कूल स्तर के विद्यालयों से भिन्न शैक्षणिक संस्थापन के समीप स्थिति कोई दुकान संस्थान के बंद होने के कम से कम एक घंटे पश्चात् खोली जावेगी ।

(4) नियम 75 के उप नियम (2) के उद्धेश्य के लिये मनोरंजन स्थान से तात्पर्य केवल थियेटर अथवा सिनेमा हॉल से है,

ऐसे तो अन्य एतिहासिक स्मारकों जैसे सिटी पेलेस,अल्बर्ट हॉल और जंतर मंतर के पास भी खुल जाएगी शराब की दुकाने|

जैसा कि हमे पता है कि दो वर्षो से राजस्थान सरकार द्वारा शराब की दुकानों की लॉटरी की बजाय नीलामी व्यवस्था शुरू की है जिसके कारण अधिकतर शराब की दुकाने पुराने और बड़े ठेकेदारो द्वारा ही छुड़ायी जा रही है|इसका असर यह हुआ है कि आबकारी विभाग मे इन पुराने ठेकेदारो ने अपना रुतबा दिखाना शुरू कर दिया है|**गब्बर वाइन** के नाम से चल रही यह दुकान इसका जीता-जागता उदाहरण है|शराब ठेकेदार के रसूख के चलते आबकारी विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने ना केवल जैन समुदाय की प्रसिद्ध नसिया **"श्री दिगंबर जैन नसिया,श्योजी गोधा"** और देवस्थान विभाग मे पंजीकृत **"रघुनाथजी राधा निवास मंदिर"** जो कि विशुद्ध रूप से धार्मिक स्थलो की श्रेणी मे आते है ,को नजर अंदाज कर दिया बल्कि विश्व प्रसिद्ध और एतिहासिक महत्व रखने वाले स्मारक **"महारानियों की छतरियाँ"** को भी अपनी नजरों से ओझल कर दिया और स्थानीय आबकारी निरीक्षक कर्णिका मेहता की अनुशंसा पर इस दुकान की लोकेशन स्वीकृत कर दी गयी|यदि ऐसा ही रहा तो भविष्य मे आबकारी नियम 75 की धज्जियां उड़ाते हुए अन्य एतिहासिक स्मारकों जैसे सिटी पेलेस,अल्बर्ट हॉल और जंतर मंतर के पास भी शराब की दुकाने खुल जाएगी|

क्रम	जिम्मेदार अधिकारी	नाम
1	जिला आबकारी अधिकारी	एमडी मीणा
2	अतिरिक्त जिला आबकारी अधिकारी	गौरवमणि जौहरी
3	आबकारी निरीक्षक	कर्णिका मेहता

पहले भी बंद हो चुकी है इस लोकेशन पर शराब की दुकान|

सूत्रो के अनुसार साल दो साल पहले इसी लोकेशन पर एक अन्य शराब लाईसेन्सी द्वारा शराब की दुकान खोली थी,लेकिन इन धार्मिक स्थलो और एतिहासिक स्मारक के कारण ही इसे बंद कर दिया गया था|लेकिन इस बार शायद इस लोकेशन का निरीक्षण करने वाले आबकारी निरीक्षक द्वारा शायद काले शीशे चढ़े हुए वाहन मे इस दुकान का निरीक्षण किया होगा,जिस वजह से उन्हे शायद यह धार्मिक स्थल और एतिहासिक स्मारक नजर नहीं आए होंगे|